

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 12.07.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 25 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर ने 02, थाना मनकापुर ने 01 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. लक्ष्मी कुमार पुत्र श्रीचन्द्र नि० उमरीडीहा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-132/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामप्रसाद पुत्र परशुराम नि० ग्राम मझौवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-221/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजू निषाद पुत्र कोलई निषाद नि० ग्राम जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-268/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. हरिहर सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह नि० ग्राम जगदीशपुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल बरामद कर मु०अ०सं०-243/22, धारा 60/72 आबकारी अधि० व 207 एम०वी० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुषमा देवी पत्नी देवराज निवासिनी भट्टा परेड थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-433/22, 02. देवराज सोनकर पुत्र स्व० हृदयलाल नि० भट्टा परेड थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-434/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 12.07.2022

वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 10 अदद चोरी की मोटरसाईकिलें बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने जनपद में घटित वाहन चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गए इन्ही निर्देशों के अनुक्रम में थाना को० नगर व एस०ओ०जी० की संयुक्त टीम को वाहन चोर गिरोह के 01 सदस्य को गिरफ्तार कर चोरी की गयी 10 मोटरसाईकिलों को बरामद करने में सफलता मिली है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर व एस०ओ०जी० की संयुक्त टीम ने सुरागरसी-पतारसी कर दिनांक 11/12.07.2022 की रात्रि गस्त के दौरान वाहन चोर गिरोह के 01 सदस्य शिवम उर्फ शुभम तिवारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे व निशानदेही से 10 अदद चोरी की मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाईकिलें हम अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अलग-अलग जनपदों से चोरी किए हैं तथा आर्थिक लाभ कमाने हेतु मोटरसाईकिलों के नम्बर प्लेट बदलकर बेच देते हैं। पुलिस टीम द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. शिवम उर्फ शुभम तिवारी पुत्र सुनील तिवारी नि० पिपरी मांझा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:—

01. मु०अ०सं०-437/22, धारा 41,411,413,419,420,467,468,471 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:—

01. 10 अदद चोरी की मोटरसाईकिलें।

गिरफ्तारकर्ता टीम:—

01. प्र०नि० को० नगर पंकज कुमार सिंह मय टीम।
02. प्रभारी एस०ओ०जी० अमित कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 12.07.2022

गैगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/गैगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना करनैलगंज पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 12.07.2022 को थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त जाकिर पुत्र समीम निवासी खजुरी थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त थाना करनैलगंज में पंजीकृत मु0अ0स0 200/22 धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट में वांछित था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. जाकिर पुत्र समीम निवासी खजुरी थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी।

अभियोग-

01 मु0अ0स0 200/22 धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 नीरज कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 12.07.2022

मिशन शक्ति अभियान के तहत दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त संतोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त मु0अ0सं0-36/22, धारा 452,323,324,504, 506,354बी, 376डी भादवि थाना इटियाथोक में वांछित चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. संतोष पुत्र भगवानदीन नि0 सहजाजोत पूरेसिधारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0-36/22, धारा 452,323,324,504,506,354बी,376डी भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी मय टीम।

सराहनीय
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 12.07.2022

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने मु0अ0सं0-192/21, धारा- 306 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अकरम अली पुत्र बरकत अली निवासी बिरमापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-192/21, धारा- 306 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

थानाध्यक्ष करूणाकर पाण्डेय मय टीम थाना इटियाथोक गोण्डा।